

दफ्तराध्यक्ष उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 (पीएचडी न्यायिक अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश:-

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व मू.अ.नि.
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान
 मू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील जिला
 की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बराण	440	तिलोकि सिंह पुत्र पूरण सिंह	तिलोकि सिंह पुत्र पूरण सिंह

(Signature)
 सहपाठसिक अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी, भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द

क्रमांक :- 125/288

दिनांक :- 11/10/25

- प्रतिनिधि :-
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजावयें।
 2. प्राथी श्री को सूचनार्थ।
 3. रक्षित पत्रावली।

(Signature)
 सहपाठसिक अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
 जिला-राजसमन्द